27.1.21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार आमेर से पालना रिपोर्ट के संदर्भ में पत्र क्रमांक 10193 दिनांक 16.12.2020 प्राप्त हुआ। शामिल मिसल रहे।

TPR आमेर का पत्रांक 10193 16/12/20 प्राप्त

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय अति. जिला. कलक्टर, जयपुर के निर्णय की पालना की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जावें।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस कथन किया कि न्यायालय अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा अपील सं0 64/2016 उनवानी भूराराम व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.08.2016 को निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण सं0 121 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम चिताणुकलां, तहसील–आमेर को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, आमेर को प्रति प्रेषित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना तहसीलदार द्वारा की जा चुकी है। अतः प्रकरण के निस्तारण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज कराया जा कर तहसीलदार, आमेर को पालना हेतु पत्र जारी किया गया था। जिसके संबंध में तहसीलदार, आमेर द्वारा पत्रांक भू.अ./2020/10193 दिनांक 16.12.2020 प्रेषित कर अवगत कराया है कि न्यायालय में दायर अपील सं0 64/2016 उनवानी भूराराम वगै. बनाम सरकार में पारित

निर्णय दिनांक 23.08.2016 की पालना में नामान्तरकरण सं0 659 दिनांक 25.02.2020 को स्वीकृत किया जा कर अपना खाता केन्द्र में कम्प्यूटर में लॉक कर दिया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार तहसीलदार, आमेर द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर (तृतीय), जयपुर के निर्णय दिनांक 23.08.2016 की पालना की जा चुकी है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र इस स्तर पर निर्णित किया जा कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम हो। बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर